फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना जहानगंज

दिनांक :- 20.10.2024

थाना जहानगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 206/2024 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर **श्री जोगेन्द्र कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ **श्री आलोक प्रियदर्शी** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **डा0 संजय सिंह** व क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद **श्री अरुण कुमार** के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के थाना जहानगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 206/2024 धारा- 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट में वांछित अभियुक्तगण 1.गुड्डी देवी पत्नी रमेश चन्द्र 2.ओमवीर पुत्र रमेश चन्द्र निवासीगण बनपोई कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ को दिनांक- 20.10.2024 को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1.गुड्डी देवी पत्नी रमेश चन्द्र निवासीगण बनपोई कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ ।

2.ओमवीर पुत्र रमेश चन्द्र उम्र करीब 24 वर्ष निवासीगण बनपोई कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण:- दिनांक 19.10.2024 को वादी हरिश्चन्द्र पुत्र रामस्वरूप निवासी गढाखेरा थाना जहानगंज जनपद फर्रुखाबाद द्वारा थाना हाजा पर लिखित प्रार्थना दिया कि दिनांक 17.10.2024 को समय करीब 14.30 बजे वादी की पुत्री बन्दना ने ससुरालीजनों द्वारा दहेज में मोटर साइकिल व दो लाख रुपये की अतिरिक्त मांग से प्रताडित होकर आग लगा लेने से इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 206/2024 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में दिनांक 20.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्तगण 1.गुड्डी देवी पत्नी रमेश चन्द्र 2.ओमवीर पुत्र रमेश चन्द्र निवासीगण बनपोई कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण ने अपना पक्ष मा0 न्यायालय के समक्ष अपने वकील के माध्यम से देना बताया।

अभियुक्त ओमवीर व गुड्डी का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 206/2024 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना जहानगंज पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री जितेन्द्र पटेल
2. उ0नि0 श्री अच्छेलाल पाल
3. का0 दुर्गेश
4. म0का0 हिमांशी
5. म0का0 कविता

मीडिया सेल फतेहगढ़।

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना जहानगंज

दिनांक :- 20.10.2024

थाना जहानगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-207/24 धारा 109(1)/191(2)/191(3)/190/115(2)/352/351(3)/118(1) बीएनएस में वांछित 05 अभियुक्तगण को 01 लाइसेंसी दौनाली बंदूक व 01 खोखा कारतूस 12 बोर व 01 अदद तंमचा व 01 खोखा कारतूस व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर नाजायज व 01 अदद टकौरा, 01 अदद फावड़ा व 01 अदद डन्डा सहित किया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर **श्री जोगेन्द्र कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ **श्री आलोक प्रियदर्शी** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **डा0 संजय सिंह** व क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद **श्री अरुण कुमार के** नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना जहानगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-207/24 धारा-109(1)/191(2)/191(3)/190/115(2)/352/351(3)/118(1) बीएनएस में वांछित 05 अभियुक्तगण को दिनांक- 20.10.2024 को गिरफ्तार कर बरामदगी के आधार पर धारा 3/25/27/30 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. अश्वनी पुत्र अमरभान निवासी ग्राम मंझगवा थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ ।
2. जयचन्द्र पुत्र अमरभान निवासी ग्राम मंझगवा थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ ।
3. अमरभान पुत्र रामस्वरुप निवासी ग्राम मंझगवा थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ ।
4. विमलेश पुत्र रमेशचन्द्र निवासी ग्राम मंझगवा थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ ।
5. कमलेश पुत्र रमेशचन्द्र निवासी ग्राम मंझगवा थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ ।

घटना का विवरण:- दिनांक 19.10.2024 को वादी गौरव पुत्र बांकेलाल निवासी मझिगवां थाना जहानगंज जनपद फर्रुखाबाद द्वारा थाना हाजा पर लिखित प्रार्थना दिया कि दिनांक 19.10.2024 को समय करीब सुबह 9 बजे ग्राम मझिगवां में वादी के परिजन व विपक्षीगण अपने-अपने खेत में आलू की बुआई कर रहे थे खेत की जुताई करते समय विपक्षीगण द्वारा हमारे खेत की मेड़ ट्रैक्टर से काट दी थी, उसी बात को लेकर अभियुक्तगण द्वारा एकराय होकर वादी के परिजनों के साथ लाठी-डण्डों, सरिया, टकोरा, फावड़ा व नाजायज असहलों से लैश होकर गाली गलौजक करते हुए मारपीट करना तथा जान से मारने की नियत से फायर करना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 207/24 धारा 109(1)/191(2)/191(3)/190/115(2)/352/351(3)/118(1) बीएनएस बनाम 1.कमलेश पुत्र रमेश, 2.विमलेश पुत्र रमेश, 3.कौशलेन्द्र पुत्र रमेश, 4.राहुल पुत्र रामबाबू, 5.अश्वनी पुत्र अमरभान, 6.जयचन्द्र पुत्र अमरभान, 7.रमेश पुत्र रामस्वरूप, 8.अमरभान पुत्र रामस्वरूप, 9.रामबाबू पुत्र रामस्वरूप निवासीगण मझिगवां थाना जहानगंज जनपद फर्रुखाबाद पंजीकृत किया गया । विवेचना के क्रम में दिनांक 20.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्तगण 1.अश्वनी पुत्र अमरभान, 2.जयचन्द्र पुत्र अमरभान, 3.अमरभान पुत्र रामस्वरुप, 4.विमलेश पुत्र रमेशचन्द्र, 5.कमलेश पुत्र रमेशचन्द्र निवासीगण ग्राम मंझगवा थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार किया गया तथा अभि0गण की निशादेही पर धान के खेत से 01 लाइसेंसी दौनाली बंदूक व 01 खोखा कारतूस 12 बोर व 01 अदद तंमचा व 01 खोखा कारतूस व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर नाजायज व 01 अदद टकौरा बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर धारा 3/25/27/30 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण ने बताया कि दिनांक 19.10.2024 को समय करीब प्रातः 09.00 बजे हम लोग अपने खेतो में आलू की बुआई कर रहे थे, पास में बाकेलाल जो कि हमारे गांव के है, वह भी अपने खेत में आलू की बुआई का कार्य कर रहे थे, खेत की जुताई करते समय हमारे ट्रैक्टर से बांकेलाल के खेत की थोडी सी मेड कट गयी थी, उसी बात को लेकर हमारा झगडा हो गया था, बाकेलाल तथा उसके अन्य परिवारीजन हमको गाली गलौज करने लगे थे, हम लोगो ने गुस्से में आकर उनके ऊपर लाठी डंडो, टकौरा, फावडा आदि से हमला कर दिया था तथा तंमचे व बंदूक से फायर किये थे, मौके पर भीड भाड इक्टठ्ठा होने लगी थी। रास्ते में हमने भागते समय तमंचा व कारतूस को धान के खेत में फेक दिया था। जिसे आज हमने आपको बरामद करा दिया है।

अभियुक्तगण विमलेश, कमलेश का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 207/24 धारा 109(1)/191(2)/191(3)/190/115(2)/352/351(3)/118(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ ।

अभियुक्तगण अश्वनी, जयचन्द्र, अमरभान का आपराधिक इतिहास –

2. मु0अ0सं0 207/24 धारा 109(1)/191(2)/191(3)/190/115(2)/352/351(3)/118(1) बीएनएस थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ ।

बरामगदी का विवरण :-

1. 01 अदद दौनाली लाइसेंसी 12 बोर बंदूक
2. 01 अदद खोखा कारतूस 12 बोर
3. 01 अदद तंमचा 315 बोर
4. 01 खोखा कारतूस 315 बोर
5. 01 जिंदा कारतूस 315 बोर
6. 01 अदद टकौरा

गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना जहानगंज पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री जितेन्द्र पटेल
2. उ0नि0 रामबाबू सिंह
3. उ0नि0 धीरज कुमार
4. उ0नि0 राजकुमार
5. हे0का0 जितेन्द्र कुमार
6. का0 धीरेन्द्र कुमार
7. का0 सुनील कुमार
8. का0 आशीष वर्मा
9. का0 सोनू
10. का0 शनि
11. का0 कौशिन्द्र

मीडिया सेल फतेहगढ़।

JKcement
WallMaxX
DIXCY SCOTT
GPS Map Camera
Fatehgarh, Uttar Pradesh, India
5, Kanpur Rd, Phoos Banglow Colony, Fatehgarh,
Uttar Pradesh 209601, India
Lat 27.363276° Long 79.63019°
20/10/24 02:44 PM GMT +05:30
Google